न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 131/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मु. मगनकंवर पत्नी दातारसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील रिंयाबडी।		उप तहसीलदार, भैरून्दा तहसील रिंयाबडी।

उपस्थिति :–

1. श्री गंगासिंह कालवी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:17.07.2018

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, भैरून्दा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 89/2014 सरकार बनाम मगनकंवर में निर्णय दिनांक 27.01.15 के तहत मौजा थांवला के खसरा नं. 425/1, 426/1 तथा 427/1 रकबा 0.06 बीघा गै.मु. सडक भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.04.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 12.04.18 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि उपतहसीलदार द्वारा पारित आदेश की कोई इतला अपीलांट को नही दी गई न इस आदेश का अपीलांट को ज्ञान अन्य किसी तरीके से था। इस आदेश का ज्ञान अपीलांट को दिनांक 3.4.18 को पटवारी हल्का ने पेनल्टी के रू. 35000/– अक्षरे पैंतीस हजार रू. की मांग की गई तब अपीलांट ने पटवारी हल्का से पूछा कि किस बात की मांग है या पेनल्टी है तो पटवारी हल्का ने ऐसा आदेश का बताया कि तो दूसरे ही दिन दिनांक 4.4.18 को उपतहसील कार्यालय भैरून्दा गया व जांच करायी व नकले प्राप्त की। जो उसे उसी दिन मिल गई। नकल देखने से पूरी जानकारी हुई सो अपील की मियाद दिनांक 4.4.18 से शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–आदेश जैर अपील विरूद्व कानून व हालात मामला के है जो निरस्तनीय है।

2}(II)–जब अपीलांट ने नायब तहसीलदार भैरून्दा के समक्ष अपना जवाब विस्तृत रूप से पेश कर दिया था तो उसे साक्ष्य पेश करने का आदेश अपीलांट को देना चाहिये था या फिर स्वयं को जवाब के मध्यनजर जांच करनी चाहिये थी तथा साक्ष्य लेनी चाहिये थी तथा मौका मुआयना करते तो वस्तु स्थिति सब सामने आ जाती व मामला समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नही बचता जो ने करने से उपतहसीलदार ने भूल की है।

{2}(III)–खसरा नं. 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 654, 655 कुल 9.16 बीघा भूमि अपीलांट की भूमि है। इस भूमि को अपीलांट ने सन 1994 में आवासीय काम मे लेने के लिये संपरिवर्तन करवा लिया था। जिसमें 20 फुट सडक की भूमि छोड कर निर्माण करने की छूट थी तथा इसी अनुसार सडक से 20 फुट भूमि छोड कर दुकानों का निर्माण करवाया है। सो इसमें कोई अतिक्रमण होने का प्रश्न ही नही है। नोटिस में सन 2014 में अतिक्रमण बताया है। जो नोटिस ही गलत है तथा खास तौर से जवाब पेश कर यह सब बता दिया था। उसके बावजूद भी कोई जांच किये बिना आदेश कर दिया जो मुख पर ही गलत है।

{2}(IV)–इससे पहले दिनांक 2.5.03 व दिनांक 2.9.05 में भी सहायक अभियन्ता (सार्वजनिक निर्माण) विभाग अजमेर ने कार्यवाही की जो बाद जांच नाप करने के समाप्त कर दी थी। सो अब नये अतिक्रमण का प्रश्न ही नही है। सो पूरी कार्यवाही ही गलत व भ्रमित है।

{2}(V)–अब राष्ट्रीय राजमार्ग आबादी के बाहर कर दिया है सो इस सडक या रास्ता पर किसी तरह की कार्यवाही करना बेमाने है उनकी सीमायें कम होती है। सो कार्यवाही अपेक्षित नही है।

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VI)–इन सब कारणों से धारा 91 रा.ले.रे. एक्ट के तहत कार्यवाही अवांछनीय है। सो कार्यवाही समाप्त करना न्याय संगत है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा थांवला में स्थित गै. मु. सडक भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. सडक है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके थांवला के खसरा नं. 425/1, 426/1 तथा 427/1 रकबा 0.06 बीघा गै.मु. सडक भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। अपीलांट द्वारा गै.मु. सडक सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर